UPUN010017542026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– प्रेम प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06506

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–759/2026

1. मनीराम पुत्र मंशाराम । निवासीगण ग्राम मदारीखेड़ा
2. कौशल पुत्र सरजू । थाना औरास जिला उन्नाव।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।**.....विपक्षी**

अपराध सं0–60/2026
धारा–109, 115(2)
बी0एन0एस0
थाना–औरास, जिला–उन्नाव।

दिनांक–05.05.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण मनीराम व कौशल की ओर से मुकदमा अपराध सं0–60/2026, अन्तर्गत धारा–109, 115(2) बी0एन0एस0, थाना औरास, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई की गई। आवदेकगण/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मजिस्ट्रेट न्यायालय का अभियुक्तगण का जमानत खारिजा आदेश सलंग्न है।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह तथ्य उल्लिखित है कि, प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण ने कोई भी घटना कारित नहीं किया है। सही वाकिया यह है कि वादी मुकदमा दूध खरीदने व बेचने का व्यवसाय करता है। वादी 6 माह से प्रार्थी का दूध ले रहा था जिसका प्रार्थी का 6 माह का 6000/–रू0 बकाया था। पैसों की मांग करने पर झूठी घटना बनाकर मुकदमा लिखाया गया है। घटना वाले समय प्रार्थीगण मोटर साइकिल नं0–यू0पी0 32 ईएफ 7828 से ग्राम नरसा जा रहे थे कि गोपालखेड़ा से वयारी गांव तरफ जाने वाले बम्बा के कच्चा रास्ता पर मोटर साइकिल खराब हो गयी। प्रार्थीगण वहॉ पर केवल खड़े थे तभी पीछे से आ रहे वादी मुकदमा के पिता व अयूब अपनी मोटर साइकिल यू0पी0 30ए0ई0 3219 से आये तथा मोटर साइकिल की रोशनी में प्रार्थीगण को पहचान के कारण पूंछा तो प्रार्थीगण ने बताया कि ग्राम नरसा जा रहा था कि मोटर साइकिल खराब हो गयी, जिसके कारण खड़ा है। 10 मिनट के लिए हमारे साथ अपनी मोटर साइकिल से ग्राम रामपुर गढ़ोवा तक मिस्त्री लिवाने के लिए चले चलो। फिर यहॉ आकर अपने रोजा अफतार में चले जाना। बाद में हम मोटर साइकिल बनवाते रहेगे। इसी बात पर प्रार्थीगण के कहने पर अयूब ने अपनी मोटर साइकिल प्रार्थीगण को दे दिया।

प्रार्थीगण मिस्त्री लेने चले गये। इसी बीच आस पास के कुछ लोगों से पता चला कि प्रार्थीगण के मिस्त्री लेने के 5मिनट बाद अज्ञात वाहन ने प्रार्थीगण को बिगड़ी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल के बगल में वादी के पिता के ऊपर जा गिरी जिससे अली हसन को चोटें आयी हैं। वादी मुकदमा को अयूब द्वारा सही जानकारी दिये जाने के बावजूद झूठी घटना बनाकर मुकदमा कायम करवा दिया गया है, जब प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण का कोई भी प्रार्थनापत्र जमानत इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। न्यायालय में यह प्रथम प्रार्थनापत्र जमानत दिया गया है। प्रार्थीगण जमानत से छूटने के बाद न तो कहीं भागेगें और न ही सबूत गवाहान पर बेजा असर डालेगें। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

3— थाना औरास उन्नाव से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया है जिसकी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध पत्रावली है। प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता मजरूब अली हसन पुत्र रज्जा निवासी ग्राम खोदिहनखेड़ा मजरा रामपुर गढ़ेवा थाना औरास जिला उन्नाव अपने साथी अयूब पुत्र सत्तार की मोटर साइकिल यू0पी0 30 ए0ई0 3219 से दिनांक 08.03.2026 की रात्रि 9 बजे ग्राम बठेरिया सलीम के घर रोजा अफतार के लिए जाते समय गोपाल खेड़ा नहर पट्टी पर अभियुक्तगण द्वारा पीछे से आकर मोटर साइकिल में टक्कर मारकर गिरा दिया तथा अभियुक्त मनीराम द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के पिता के सिर में पत्थर मारकर गम्भीर रूप से घायल करना तथा अभियुक्त कौशल द्वारा अयूब पुत्र सत्तार का गला दबा देने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध पत्रावली है। प्रार्थी/अभियुक्त मनीराम पुत्र मंशाराम का पूर्व के आपराधिक इतिहास है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। घटना नहर पट्टी पर सूनसान जगह की है इसलिये घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं है परन्तु अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया है जिसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध पत्रावली है। थाने द्वारा इस मुकदमें के अतिरिक्त अभियुक्त मनीराम का एक मुकदमा अपराध सं0—23/2024 धारा—323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना औरास उन्नाव का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत है। जमानत का प्रबल विरोध है।

4— अभियोजन कथानक यह है कि वादी समीम गाजी पुत्र अली हसन ग्राम खोदिहन खेड़ा मजरा रामपुर गढ़ौवा थाना औरास जनपद उन्नाव द्वारा थाने में इस आशय की तहरीर दी है कि, दिनांक 08.03.2026 की रात करीब 9 बजे मेरे पिता अली हसन पुत्र रज्जा उम्र करीब 62 वर्ष व मेरे ही गांव का अयूब पुत्र सत्तार दोनों लोग अयूब की मोटर साइकिल यू0पी0 30 ए0ई0 3219 से जिसे अयूब चला रहा था, घर मेरे मौसा बरेठिया निवासी सलीम के घर रोजा अफ्तार के लिये जा रहे थे तब मेरे पिता थोड़ी देर बाद गोपाल खेड़ा से बयारी गांव जाने वाले कच्चे रास्ते बम्बा पर पहुंचे तो पीछे से मनीराम पुत्र मंशाराम उम्र 22 वर्ष व कौशल पुत्र सरजू उम्र 21 वर्ष निवासी मदारीखेड़ा थाना औरास जिला उन्नाव जाति पासी ने अपनी मोटर साइकिल नं0—यू0पी0 32 ई0डी0 7828 पीछे से आकर मेरे पिता की मोटर साइकिल में टक्कर मार कर उन्हें गिरा दिया मनीराम

ने मेरे पिता अली हसन को रंजिशन जान से मारने की नियत से उनके सिर पर पत्थर से जोरदार प्रहार किया जिससे उनके दाहिनी आंख के ऊपर भंयकर चोट आयी और उनके रक्त का फब्हारा चल गया जिससे उनका शरीर और शर्ट दोनों रक्त में भीग गये एवं कौशल ने अयूब को जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया जिससे वह तड़प कर वहीं गिर गया। यह लोग मेरे पिता व अयूब को मरा समझ कर छोड़ कर चले गये और उनकी मोटर साइकिल यू0पी0 32 ई0डी0 7828 घटनास्थल पर छूट गयी थी और बदले में अयूब की मोटर साइकिल यू0पी0 30 ए0ई0 3219 लेकर चले गये थे।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का प्रबल विरोध है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सलंग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7– अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी के पिता अली हसन व वादी का भाई अयूब पर हत्या करने का प्रयत्न व स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप है। थाने द्वारा प्रस्तुत **केस डायरी के पर्चा सं0–1** में विवेचक द्वारा मजरूब अली हसन के मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन के उपरान्त पर्चा किता किया गया है जिसमें यह उल्लिखित है कि ''मजरूब/घायल के सिर पर दाहिनी आंख के ऊपर माथे पर 3.5 गुणे 0.7 सेमी0 घाव की चोट होना पाया गया है। मारपीट में उपयोग में लाया गया हथियार हार्ड एण्ड ब्लन्ट ऑबजेक्ट का होना व चोटों की अवधि फ्रेश होना उल्लिखित है।'' अर्थात मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटहिल अली हसन के शरीर के नाजुक भाग (Vital Part) पर अभियुक्तगण द्वारा उक्त गम्भीर चोटें कारित की गई हैं। **केस डायरी के पर्चा सं0–2** में चुटहिल अली हसन व अयूब के मेडिकल परीक्षणकर्ता डा0 शोएब अली सी0एच0सी0 औरास का बयान विवेचक द्वारा अंकित किया गया है जिसमें मेडिकल परीक्षणकर्ता चिकित्सक डा0 शोएब अली द्वारा यह बयान दिया गया है कि ''दिनांक 09.03.2026 को मेडिकल परीक्षण में मजरूब अली हसन के दाहिने आंख के ऊपर माथे पर 3.5 गुणे 0.7 सेमी0 का लेसरेटेड घाव दाहिनी आंख के भौंह के ऊपर माथे पर पाया गया था। अली हसन की चोट के बारे में पूंछने पर चिकित्सक द्वारा बताया गया कि यदि और गम्भीर चोट लगने पर हड्डी टूट जाने से सिर जैसे मर्म (Vital Part) भाग होने के कारण मृत्यु भी सम्भव हो सकती है। सह अभियुक्त कौशल द्वारा चुटहिल अयूब को जान से मारने की नियत से जमीन पर गिराकर गला दबा दिया जिससे वह तड़प कर वहीं गिर गया था। अभियुक्तगण उसे मरा समझकर वादी की मोटर साइकिल लेकर भाग गये।'' चिकित्सक के उक्त बयान से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा चुटहिलों को पहुंचाई गई चोटें प्राणघातक थी। केस डायरी में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना लिये गये चुटहिलों के बयान, मेडिकल परीक्षणकर्ता चिकित्सक के बयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि के सम्पूर्ण अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी/चुटहिलों को पहुंचायी गई चोटें/उपहति शरीर के मर्म भाग पर थी व प्राणघातक थीं। अभियुक्त मनीराम का

थाने द्वारा आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मनीराम व कौशल द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–759/2026 मुकदमा अपराध सं0–60/2026, अन्तर्गत धारा–109, 115(2) बी0एन0एस0, थाना औरास, जिला उन्नाव के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

दिनांक–05.05.2026

(प्रेम प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3,
उन्नाव।